

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

प.एफ.नं. 4(3)वन/2022

जयपुर, दिनांक- 27 SEP 2022

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा तहसील स्थित रक्षित वन खण्ड बीड़ घास फूलियाखुर्द की रक्षित वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची- I एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची- II के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षित घोषित करती है, जिसे भविष्य में बीड़ घास फूलियाखुर्द संरक्षण आरक्षित के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तदधीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।


अनुसूची- I

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	वन खण्ड का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	भीलवाड़ा	फूलियाखुर्द	बीड़ घास फूलियाखुर्द	864	58.29	रक्षित वन
				865	21.53	रक्षित वन
				878	0.24	रक्षित वन
				879	0.01	रक्षित वन
				880	5.72	रक्षित वन
योग:-					85.79 हे०	

अनुसूची- II

- उत्तरी सीमा : आम रास्ता व राजस्व भूमि ग्राम फूलियाखुर्द।  
पूर्वी सीमा : चारागाह भूमि ग्राम फूलियाखुर्द।  
दक्षिणी सीमा : राजस्व भूमि ग्राम फूलियाखुर्द।  
पश्चिमी सीमा : चोचलिया महादेव मन्दिर व तालाब।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
(वेंकटेश शर्मा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई-गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करावें।
11. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
13. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
14. उप वन संरक्षक, भीलवाडा।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

Recd/Dev/20  
14.10.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन्यजीव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून

(सुरेश अग्रवाल)  
विशेषाधिकारी

विशेषाधिकारी वन

14.10.2022

CCF (Plan-WL)	DCF & TA to CCF (WL)
ACF (Ecotourism)	DCF (Administration-WL)
ACF (Wildlife)	ACF (Wildlife Protection)
	Administrative Officer
ACCOUNTS OFFICER	